



Neutral Citation No. - 2026:AHC:24660

उच्च न्यायालय इलाहाबाद

रिट - सी संख्या - 4051 वर्ष 2026

मोहम्मद इब्राहिम

.....याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 18 अन्य

.....प्रत्यर्थी(गण)

याचिकाकर्ता(गण) के अधिवक्ता : बाबू लाल राम, ज्योति भूषण

प्रत्यर्थी(गण) के अधिवक्ता : सी.एस.सी.

न्यायालय संख्या - 6

माननीय न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता, राज्य-प्रत्यर्थियों के विद्वान स्थायी अधिवक्ता को सुना गया और अभिलेख का परिशीलन किया गया।
2. यहाँ पारित किए जाने वाले प्रस्तावित आदेश को देखते हुए, निजी प्रत्यर्थियों को नोटिस जारी करने और इस याचिका को इस न्यायालय के समक्ष लंबित रखने से कोई उपयोगी उद्देश्य सिद्ध नहीं होगा। हालांकि, यदि निजी पक्षकार आदेश में व्यथित महसूस करते हैं, तो आदेश में संशोधन या परिवर्तन चाहने का उनका अधिकार सुरक्षित रखा जा रहा है।
3. वर्तमान याचिका में याचिकाकर्ता द्वारा मांगी गई मुख्य राहत प्रत्यर्थी संख्या 2/ नायब तहसीलदार, मेहनगर, जिला आजमगढ़ को पुनर्स्थापना वाद संख्या आरएसटी/460 वर्ष 2023 (कंप्यूटरीकृत केस संख्या टी202315060500460) को शीघ्रता से निस्तारित करने का निर्देश देना है।
4. मामला प्रत्यर्थी संख्या 2 के समक्ष लंबे समय से लंबित है और काफी समय बीत चुका है लेकिन आज तक मामले में कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है।
5. मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, वर्तमान याचिका को प्रत्यर्थी संख्या 2/ नायब तहसीलदार, मेहनगर, जिला आजमगढ़ को उपरोक्त वाद में दायर पुनर्स्थापना आवेदन को कड़ाई से कानून के अनुसार, प्रत्यर्थी संख्या 2 के समक्ष प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करने की तिथि से अधिमानतः तीन महीने की अवधि के भीतर, बिना किसी अनावश्यक स्थगन के, जब तक कि कोई कानूनी बाधा न हो, शीघ्रता से निस्तारित करने का निर्देश देते हुए निस्तारित किया जाता है।

(माननीय न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया)

4 फरवरी, 2026

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"